संख्या-208/तीन-2020-11(3)/09

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 03 फरवरी, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में रामलीला के व्यय तथा मन्दिरों एवं अन्य धार्मिक संस्थाओं के लिए आल इण्डिया काशी राज ट्रस्ट, वाराणसी को अनुदान।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आॅल इण्डिया काशीराज ट्रस्ट, वाराणसी को रामलीला के व्यय को वहन करने तथा मन्दिरों एवं अन्य धार्मिक संस्थाओं के प्रबन्ध हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये प्राविधानित धनराशि रू0 5,00,000/-(रू0 पाॅच लाख मात्र) के सापेक्ष शासनादेश सं0-365/ तीन-2019-11(3)/09, दिनांक 09-07-2019 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 2,50,000/-की धनराशि स्वीकृत प्रदान की गयी थी। अवशेष धनराशि रू0 2,50,000/-(रू0 दो लाख पचास हजार मात्र) को द्वितीय किश्त अवमुक्त करने की निम्नलिखित शर्ताे के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृति धनराशि उन मदों में व्यय की जायेगी, जिसके लिए धनराशि स्वीकृति की गयी है,।

(2) सक्षम अधिकारी की अनुमति से नियमानुसार व्यय की जायेगी तथा बिल को जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का ''फांटवार'' उपयोगिता प्रमाण-पत्र 31मार्च, 2020 तक कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरित कर व्यय की जायेगी।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-84 के अन्तर्गत ''लेखा शीर्षक-2250-अन्य सामाजिक सेवायें-101-धमार्थ प्रयोजन के लिए दान-03-रामलीला के व्यय तथा मन्दिरों एवं धार्मिक संस्थाओं के प्रबन्ध के लिए आॅल इण्डिया काशीराज ट्रस्ट वाराणसी को सहायक अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' के नामें डाला जायेगा।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के अर्द्ध0शा0 संख्या-ई-5-319/दस-2020 दिनाॅक 27 फरवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबद।

2- कोषाधिकारी, वाराणसी।

3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 ।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।

5- जनरल सेक्रेटरी, आल इण्डिया काशीराज ट्रस्ट, फोर्ट रामनगर, वाराणसी।

6- समन्वय सहायक/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
उमेश यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-संख्या-208(2)/तीन-2020-11(3)/09, दिनांक 03 फरवरी, 2020 का संलग्नक

व्यय की मद	**धनराशि (रूपये में)**
(1) रामभोग मन्दिरान एवं अन्य धार्मिक संस्थाओं के प्रबन्ध,दैनिक ब्राह्मण भोजन आदि	1,25,000.00
(2) रामलीला पर व्यय	30,000.00
(3) रामलीला भण्डारा पर व्यय	50,000.00
(4) रामलीला पर व्यय	30,000.00
(5) प्रशासनिक व्यय	15,000.00

योग 2,50,000.00

(रूपये दो लाख पचास हजार मात्र)

उमेश यादव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सामान्य प्रशासन विभाग

आवंटन आदेश संख्याः 012-gad3/22 **आवंटन तिथिः** 03/03/2020

कोषागारः 27 - वाराणसी **वित्तीय वर्षः** 2019-2020

अधिकारी/जनपद का संख्याः 4183- जिलाधिकारी **अधिकारी कार्यालय संख्याः** 01- -

अनुदान संख्याः 84- सामान्य प्रशासन विभाग

लेखाशीर्षकः 2250 - अन्य सामाजिक सेवायें

101 - धमार्थ प्रायोजनों के लिए दान

03 - रामलीला के व्यय तथा मन्दिरों एवं अन्य धार्मिक संस्थाओं के लिए आल इण्डिया काशी राज ट्रस्ट, वाराणसी को अनुदान।

आयोजनेत्तर-मतदेय

कोषागारः वाराणसी **(धनराधि रूपये में)**

मानक मद	**पूर्व आवंटन**	**वर्तमान आवंटन**	**प्रगामी आवंटन**
20 - सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	250000	250000	500000
योग:	250000	250000	500000

उमेश यादव

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।